प्रेषक,

दिनेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास)
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2013

विषयः- जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग-24 के कि0मी0 496 में डालीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट रेलवे अण्डरपास का चौड़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-542/पुनरीक्षित आगणन लखनऊ/बी0एम0सी/13, दिनांक 27-02-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग-24 के कि0मी0 496 में डालीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट रेलवे अण्डरपास का चौड़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित आंकलित लागत रू0 972.96 लाख (रूपये नौ करोड़ बहत्तर लाख छियानबे हजार मात्र) पर पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	सं0-10(1)/23-11-2013, दिनांक 12-02-2013 द्वारा स्वीकृत मूल लागत	पुनरीक्षित लागत
1	जनपद लखनऊ में राष्ट्रीय मार्ग-24 के कि0मी0 496 में डालीगंज चौराहे से चौक मार्ग पर हाथी पार्क के निकट रेलवे अण्डरपास का चौड़ीकरण का कार्य।	593.84	972.96

(1) पुनरीक्षित परियोजना की अवशेष देय धनराशि रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यो के मद में प्राविधानित धनराशि से वहन की जायेगी।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाय।

(3) निर्माण से पूर्व सम्पूर्ण कार्य के विस्तृत आरेख, डिजाइन एवं ड्राइंग आदि पर रेलवे से अनुमोदन एवं अनापत्ति प्राप्त करेंगे।

(4) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) निर्माण कार्य से पूर्व सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

 (6)

(4) पुनरीक्षित स्वीकृति लागत पर ही समस्त कार्य पूर्ण किये जायेंगे। स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि किसी भी दशा में आवंटित न की जाय।

(5) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश सं0-10(1)/23-11-2013, दिनांक 12-02-2013 की संगत प्रतिबन्ध /शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1504/दस/ 2013, दिनांक 31 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 53 (1)/23-11-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त व्यय (नियन्त्रण,) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
8- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10 उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरोज कुमार यादव)
उप सचिव।